

कार्यालय  
राष्ट्रीय आर्थिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश सरकार।

संख्या:- आर्थिक/परिषद/सम्बद्धता/2020/9170

लक्षणक दिनांक: 14-8-2020

:-कार्यालय द्वारा:-

अखिल भारतीय राजकीय शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/राजकीय कार्यालय जीए इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा हेतिका सत्र 2020-21 हेतु विद्यार्थी राजकीय शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने से सम्बंधित आर्थिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बद्धता/सम्बद्धता विचार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को उत्तर प्रदेश आर्थिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से सम्बंधित संस्थाओं को सम्बद्धता विचार/पाठ्यक्रम/परीक्षा अथवा वृद्धि सत्रिक प्रत्येक पर विचार करने हेतु सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के पत्र-8 में विद्यार्थी इन राजकीय पाठ्यक्रम सम्बंधित करने वाली नई संस्था का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा यथम विचार-विमर्श कर निम्नानु निर्णय लिया गया :-

'सत्र 2020-21 हेतु मरम्भयवित्त होने वाली विद्यार्थी इन राजकीय संस्थाएं जिन्हें पीसीआईओ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है, को सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सत्र 2020-21 हेतु निर्गत पीसीआईओ अनुमोदन पर के आधार पर सर्वसम्पत्ती से सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि प्रत्येक संस्थाओं का राष्ट्रीय निर्देशन कराया जाने एवं निर्देशन के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साधन-सम्पत्ती पीसीआईओ/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जाएगी।'

इस निम्नानुसार संघीय संस्था को परिषद की सम्बद्धता समिति द्वारा किये गये निर्णय के अन्तर्गत पर आर्थिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित सत्रों के अन्तर्गत पाठ्यक्रम एवं उत्तरी अखिल प्रदेश अथवा हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीसीआईओ द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित अथवा अथवा	परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित अथवा अथवा
1	डी एन सिंह ज्योतिष ज्योतिष राजकीय, मुक्त, राजकीय संस्था, गोरखपुर	विद्यार्थी इन राजकीय	न	न

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था राजकीय/राजकीय/पीसीआईओ द्वारा निर्दिष्ट की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश आर्थिक शिक्षा परिषद पत्र 1982 तथा आर्थिक शिक्षा परिषद विनियमों 1982, संशोधन विनियमों-2018 तथा अन्य विहित विधियों एवं शर्तों का अनुपालन करेगी तथा सत्रिक निर्देशन समिति द्वारा निर्दिष्ट सुलभ लेन-देन वहीन पाठ्यक्रम हेतु 50,00,00,00/- प्रीवियर, 10 वहीन राजकीय पाठ्यक्रम हेतु 50,00,00,00/- प्रीवियर एवं एक लाख 10 वहीन पाठ्यक्रमों (10 वहीन राजकीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत) हेतु 50,00,00,00 प्रीवियर सुलभ की प्रत्येक सत्र/सत्रिक से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से सुलभ से संस्था में सत्रिक-सत्रिक या शायद द्वारा निर्गत किये जाने वाले सत्रिकों/सत्रिकों को भी सत्रिकों द्वारा ही प्राप्त करना आवश्यक होगा। सत्रिक निर्देशन समिति द्वारा यह सत्र 2020-21 हेतु सत्रिक का पुनर्निर्देशन किया जाता है, तो सत्रिक की अंतिमता एवं लागू होगी।





उपरोक्त संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उपरोक्त तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, उपरोक्त द्वारा कलसे गाने नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।

- ✓ डिप्लोमा इन फार्मासी पदोन्नतियों को संभवतः यदि वे सी.बी.ई. नई दिल्ली में अनुसंधान प्रयोग करने में अवकाश चाहती है तो इस संस्था में सम्बन्धित उपरोक्त संस्था का होना और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिये संस्था का उपरोक्त होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उपरोक्त संस्था को कोई कायदा प्रयोग किया जाता है तथा कायदा का संबंध में न. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश नहीं किया जाता है तो संस्था प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मासी पदोन्नतियों संबंधित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उपरोक्त संस्था द्वारा प्रवेश करने के लिये आवेदनिका प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यालयिका प्रवेश होने के पूर्व परीक्षा/आदेश में अनुसंधान प्रयोग का परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराया होगा अथवा उपरोक्त प्रवेश की (कार्यालयिका के माध्यम से अथवा संस्था का पर सीधे प्रवेश) अनुसंधान नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उपरोक्त संस्था द्वारा प्रवेश हेतु निर्दिष्ट नवीनतम आवेदनिका नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की संस्था सूचना जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, संस्था, संस्था-संस्था, उपकरण, प्रयोग किया जाने वाला सुक्त, साक्षात्कार सुक्त आदि का विस्तार उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था को विद्यमान/प्राथमिक हेतु उपरोक्त संस्था/उपलब्ध करने के साथ जैविक संस्था के संस्था में संस्था आवेदनिका संस्था सुक्त/संस्था करनी होगी।
- ✓ संस्था का सुनिश्चित हो तो कि संस्था में प्राथमिक/संबन्धित पदोन्नतियों को कलसे जाने हेतु निर्दिष्ट प्राथमिक के समस्त उपलब्ध कराते एवं आवेदनिका, भूमि-भवन, कार्यवाही, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पदोन्नतियों के संस्था में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिये कर रही है तो संस्था संस्था को सम्बन्धित संस्था किने जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ संस्था के राष्ट्रीय निर्देशक टीम यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य संस्था/संस्था/उपलब्धिका/उपलब्धिका/परिषद के न्यायालय/उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था को सम्बन्धित संस्था कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बन्धित कार्य का अनुपालन न किने जाने अथवा कार्य का उपलब्ध किने जाने की स्थिति में न्यायालय/उपलब्धिका/उपलब्धिका कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

फ़ोन: प्राथमिक/परिषद सम्बन्धित:2021.0538-4898

द्वारा: 06/06/2021

प्राथमिक...

प्रशासक/निदेशक SHRI RATAN SINGH COLLEGE OF PHARMACY, BHUDA MANARI, POWAYAN, SHAHJAHANPUR



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव



के विवाद यदि कोई बात प्रमाणित किया जाता है तब उसमें सबूत के संकेत में यह आवश्यक द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्दिष्ट किया जाता है जो संस्था प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।

- ✓ संस्था को जो समुदाय प्रवेश परीक्षा परीक्षा, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रवेश वर्ष प्रवेश हेतु आवेदनिका सहायिका प्रवेश होने के पूर्व (10-10-2022/10-10-2022/10-10-2022) से अनुमति प्राप्त कर परीक्षा आयोजित की जायक कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (सहायिका के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के अंतर पराधीन प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समस्त संस्था पर निर्दिष्ट नवीकरणीय आश्वासन निर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर प्रवेश की समस्त सुविधाओं जैसे प्रवेश की ऐडमिनिस्ट्रेशन सुविधा भूमि, सार्वजनिक, सार्वजनिक, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, सहायक शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को विद्युत प्रमाणित हेतु समुदाय आवास उपलब्ध कराने के साथ पेंशन टोकने के संकेत में संस्था आवश्यक सुविधा करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रत्यक्ष संबंधित परामर्शकों को बताने जाने हेतु निर्देश समिति के समक्ष उपलब्ध कराने या अधिवेश, भूमि भरण, करोंका, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य परामर्शकों के संस्थान में प्रवेश किया जाता है और परीक्षा को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रवेश किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संस्था की सम्बद्धता समझा किने जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के शैक्षिक संबंधित निर्देशों के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य सार्वजनिक (10-10-2022/10-10-2022/10-10-2022) परीक्षा के माध्यमों द्वारा उपलब्ध नहीं प्राप्त करता है तो संस्था की सम्बद्धता समझा कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता कार्य का अनुपालन न किने जाने अन्यथा कार्य का उपलक्षण किने जाने की स्थिति में नियन्त्रण अनुसंधानकर्ता कार्यवाही की जायेगी।



(10/10/2022)

सचिव

पुस्तक- प्रतिष्ठा/परीक्षा सम्बद्धता/2022/9455-9479

दिनांक: 18/10/2022

प्रतिष्ठान

अध्यक्ष/निदेशक SHRI RATAN SINGH COLLEGE OF PHARMACY



(10/10/2022)

सचिव